

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-1023/11-सी- FP/UP/Road/144204//2021 लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 17, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:-

जनपद हाथरस में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बदायूँ (उ०प्र०) द्वारा मथुरा-बरेली मार्ग (एस०एच०-33) वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 530बी कि०मी० 66 से 123.100 तक सुधार एवं उन्नयन (पैकेज-2) मार्ग चौड़ीकरण में जनपद कासगंज हेतु 12.4681 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1959 वृक्ष एवं 21888 पौधे, जनपद एटा हेतु 5.3244 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 945 वृक्ष एवं जनपद हाथरस हेतु 71.6191 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 8255 वृक्ष एवं 10891 पौधे अर्थात् कुल 89.4116 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 11159 वृक्ष एवं 32779 पौधों के पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०- FP/UP/Road/144204//2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, एटा, हाथरस एवं कासगंज की संस्तुति सहित परिवेश पोर्टल-1.0 में ऑनलाईन प्रेषित किया गया। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाईन प्रस्ताव इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है, कि विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के धारा-2 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोग्राफी अपलोड है।
2. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र अपलोड है।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड है।
4. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड लैण्डशड्यूल अपलोड है।
5. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश अपलोड है।
6. मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता अपलोड है।
7. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) जमा किये जाने की वचनबद्धता अपलोड है।
8. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map सीडी सहित अपलोड है।
9. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन अपलोड है।
10. क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी एवं Geo Referenced Digital Map अपलोड है।
11. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति अपलोड है।
12. प्रस्ताव में 10 किमी० परिधि से वन्यजीव बाहर होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अपलोड है।
13. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता अपलोड है।
14. प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाईल।

संलग्नक-संस्तुति पत्र।

भवदीय

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-1023/11-सी- FP/UP/Road/144204//2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, एटा, हाथरस एवं कासगंज।
- 3- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बदायूँ।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/144204//2021

➤	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें ।	cf, Aligarh की सस्तुति
➤	(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं।	के आधार पर स्वीकृताथ मंस्तुति की जाती है

हस्ताक्षर :-

नाम :-

सरकारी मुहर :-

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

तिथि :- 17/10/23

दिनांक :-